न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 10 / 2023

1 बाबुलाल पुत्र स्व हंसराज आयु 57 साल जाति मेघवाल निवासी डाबड़ी धीरसिंह तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं राज.।
2 भतेरी देवी पत्नी स्व. मनीराम आयु 50 साल जाति मेघवाल निवासी डाबड़ी धीरसिंह तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं राज.।
3 नरेन्द्र पुत्र मनीराम आयु 19 साल जाति मेघवाल निवासी डाबड़ी धीरसिंह तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं राज.।
4 मु. कविता आयु 17 साल पुत्र स्व. मनीराम
5 मु. अन्नु आयु 15 साल पुत्र स्व. मनीराम
6 मु. ममता आयु 13 साल पुत्र स्व. मनीराम
7 मु. सचिन आयु 12 साल पुत्र स्व. मनीराम
समस्त जाति मेघवाल निवासी डाबड़ी धीरसिंह तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं राज. नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता भतेरी देवी अपीलान्ट संख्या 2

अपीलांट्स

बनाम

1 अमित कुमार पुत्र स्व. सुरेशचन्द
2 नरोतमलाल पुत्र स्व. सुरेशचन्द
3 मधुसुदन पुत्र स्व. सुरेशचन्द
4 सीमा पुत्री स्व. सुरेशचन्द
5 प्रेम देवी पत्नी स्व. सुरेशचन्द
6 सुभाषचन्द पुत्र श्रीराम
समस्त जाति ब्राह्मण निवासी डाबड़ी धीरसिंह तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं राज.।
7 महेन्द्र पुत्र मुकन्दाराम
8 महेश पुत्र स्व. मुकन्दाराम
9 नेमीचन्द पुत्र स्व. मुकन्दाराम

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

समस्त जाति जाट निवासी डाबड़ी धीरसिंह तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं राज.।
10 बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा मण्डेला जरिये शाखा प्रबंधक।
11 स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर हाल नया नाम एस.बी.आई. शाखा चिड़ावा जरिये शाखा प्रबंधक।
12 राजस्थार सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मलसीसर जिला झुन्झुनूं।

रेस्पोडेन्टस

प्रथम अपील अ. धारा 223 आरटीएक्ट 1955 खिलाफ
निर्णय व प्राथमिक डिक्री बअदालत उपखण्ड अधिकारी
झुन्झुनूं जिला झुन्झुनूं बउनवानी सुरेशचन्द बनाम सुभाषचन्द्र
वगै. दावा बंटवारा, स्थाई निषेधाज्ञा व घोषणा मु.नं. 113/1997
निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 04.06.2004

अपील संख्या 09/2023

1 बाबुलाल पुत्र स्व हंसराज आयु 57 साल जाति मेघवाल निवासी डाबड़ी धीरसिंह तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं राज.।
2 भतेरी देवी पत्नी स्व. मनीराम आयु 50 साल जाति मेघवाल निवासी डाबड़ी धीरसिंह तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं राज.।
3 नरेन्द्र पुत्र मनीराम आयु 19 साल जाति मेघवाल निवासी डाबड़ी धीरसिंह तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं राज.।
4 मु. कविता आयु 17 साल पुत्र स्व. मनीराम
5 मु. अन्नु आयु 15 साल पुत्र स्व. मनीराम
6 मु. ममता आयु 13 साल पुत्र स्व. मनीराम
7 मु. सचिन आयु 12 साल पुत्र स्व. मनीराम

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

समस्त जाति मेघवाल निवासी डाबड़ी धीरसिंह तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं राज. नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता भतेरी देवी अपीलान्ट संख्या 2

अपीलांट्स

बनाम

1 अमित कुमार पुत्र स्व. सुरेशचन्द
2 नरोतमलाल पुत्र स्व. सुरेशचन्द
3 मधुसुदन पुत्र स्व. सुरेशचन्द
4 सीमा पुत्री स्व. सुरेशचन्द
5 प्रेम देवी पत्नी स्व. सुरेशचन्द
6 सुभाषचन्द पुत्र श्रीराम
समस्त जाति ब्राह्मण निवासी डाबड़ी धीरसिंह तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं राज.।
7 महेन्द्र पुत्र मुकन्दाराम
8 महेश पुत्र स्व. मुकन्दाराम
9 नेमीचन्द पुत्र स्व. मुकन्दाराम
समस्त जाति जाट निवासी डाबड़ी धीरसिंह तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं राज.।
10 बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा मण्डेला जरिये शाखा प्रबंधक।
11 स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर हाल नया नाम एस.बी.आई. शाखा चिड़ावा जरिये शाखा प्रबंधक।
12 राजस्थार सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मलसीसर जिला झुन्झुनूं।

रेस्पोडेन्टस

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 आरटीएक्ट 1955 खिलाफ निर्णय व अंतिम डिक्री बअदालत उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं जिला झुन्झुनूं बउनवानी सुरेशचन्द्र बनाम सुभाषचन्द्र वगै. दावा बंटवारा, स्थाई निषेधाज्ञा व घोषणा मु.नं. 113/97 निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 13.02.2016

उपस्थिति :

1. श्री शिवहरिप्रसाद, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजेश कुमार सुण्डा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 4/12/25

यह अपील विचारण उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं द्वारा मुकदमा नम्बर 113/1997 में पारित निर्णय दिनांक 04.06.2004 व 13.02.2016 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है। दोनों पत्रावलियों में पक्षकार व विवादित भूमि समान होने से इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति पृथक—पृथक रखी जावें।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादीगण द्वारा एक वाद स्थाई निषेधाज्ञा, बंटवारा व घोषणार्थ बाबत भूमि खसरा नम्बर 12, 13/1, 81/2/2 वाके ग्राम डाबड़ी धीर सिंह का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्राथमिक एवं अंतिम डिक्री जारी कर दी। इससे व्यथित होकर यह अपीले धारा 5 व धारा 96 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि ग्राम सरहद डाबड़ी धीरसिंह में एक खेत पुराना खसरा नम्बर 81 रकबा 49 बीघा थी। उपरोक्त खेत खसरे पर अपीलान्ट का पूर्वज सुरजा पुत्र उदा कौम चमार निवासी डाबड़ी धीरसिंह जो अनुसूचित जाति का सदस्य

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

था जो 1/4 हिस्से का कब्जा काश्त था तो प्रथत जमाबंदी 2012 से 2032 राजस्व अभिलेखों में दर्ज था। अपीलान्टस का पूर्वज सुरजा पुत्र उदा कॉम चमार निवासी डाबड़ी धीरसिंह जो अनुसूचित जाति का सदस्य था जो 1/4 हिस्से पर कब्जा काश्त काबिज था जो प्रथम जमाबंदी 2012 से 2032 राजस्व अभिलेखों में दर्ज था। अपीलान्टस हाल खसरे न. 1074/242, 1075/242, 244, 1076/244 पर अपने पूर्वजों के समय से ही कब्जा काश्त कर रहे है। विचारण न्यायालय ने दावे की मद संख्या 1 को पूर्ण रूप से पढ़कर दावा निर्णय नहीं किया कि दावे में सम्पूर्ण खसरा नम्बरों का विवरण क्यों नहीं दिया तथा सुरजा पुत्र उदा कौम चमार के वारिसानों को पक्षकार क्यों नही बनाया गया। तथ्य छुपाकर सुरजाराम को कुआंरा बताकर निर्णय प्राप्त किया जो काबिले खारिज होने योग्य है। धारा 42(2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की पालना नही कर निर्णय व डिक्री पारित की है जो निर्णय करने में तथ्य व विधि की भूल की है जो काबिले खारिज होने योग्य है। रेस्पोडेन्टस का अपीलान्टस के कब्जे हिस्से पर भौतिक कब्जा काश्त संवत 2012 से आज दिन तक कब्जा काश्त नहीं रहा है। कब्जे के अभाव में खातेदारी व विभाजन तथा स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष नहीं दिया जा सकता। मात्र प्रकियात्मक आधार पर अपीलान्टस को विधिक अधिकारों से वंचित रखा है तथा दावे में अपीलान्टस को पक्षकार नहीं बनाया गया है जो न्याय के सारभूत सिद्धान्त के प्रतिकूल होने से निर्णय जैर बहस खारिज होने योग्य है। रेस्पोडेन्ट का दावा के विरूद्ध धारा 42 (2) आर.टी.एक्ट का अनुसूचित जाति के सरंक्षण प्राप्त है। अपील का क्षेत्र अत्यन्त सिमित हैं। इसमें समवर्ती निष्कर्षों में विचारण न्यायालय ने धारा 42 (ख) में हस्तक्षेप कर अभिलेखों के विपरित जाकर निर्णय पारित किया है। जानकारी से अंदर मियाद अपीले धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है। रेस्पोडेन्ट संख्या 14, 15 जो बैंक के भूमि रहन होने से पक्षकार बनाया रखा है तथा 1 लगायत 5 सुरेशचन्द्र के कायम मुकाम है तथा 11 लगायत 13 मुकन्दाराम के कायम मुकाम होने से पक्षकार बनाया गया है। विचारण न्यायालय ने विधिक प्रकिया का दुरूपयोग किया है। विचारण न्यायालय ने राजस्थान टिनेन्सी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई। अपीलान्ट जो विवादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 242, 244 पर अपने पूर्वजों के समय से बराकटोक कब्जा काश्त करते आ रहे है। कोई नोटिस नही दिया गया।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

जब रिपोर्ट तैयार की गई हो तब मौके पर मौजूद हो उनकी सहमति या असहमति हो इस बाबत कोई प्रमाण नही है। नक्शा ट्रेस के अवलोकन से यह प्रमाणित होता है कि नियम 18 से 21 की पालना नही हुई कहने का तात्पर्य है पटवारी, तहसीलदार, भू–अभिलेख, निरक्षक मौके पर गये ही नहीं तथा विभाजन .तहसीलदार ने तैयार नहीं किया है। तहसीलदार तैयार करता तो उसी वक्त हस्ताक्षर जरूर करता हस्ताक्षर बिना प्रस्ताव मान्य नही होता दुबारा हस्ताक्षर के लिए दुबारा भेजी गई जो आदेशिका दिनांक 29.10.2005 के अनुसार है इससे स्पष्ट साबित है कि विभाजन प्रस्ताव मौके पर तैयार नही किया गया फिर भी विचारण न्यायालय ने विभाजन प्रस्ताव को न्याय निर्णय में शामिल कर निर्णय व अंतिम डिक्री तैयार कर गलती कानूनी की है जो खारिज होने योग्य है। इस कारण निर्णय के अंतिम भाग को कानून से अंतिम डिक्री माना जावे यदि भविष्य में अंतिम डिक्री बनाई जाती है तो प्रस्तुत कर दी जायेगी। विचारण न्यायालय ने अंतिम डिक्री नही बनाई है। राजस्थान रेवेन्यू कोर्ट मेन्यूअल के नियम 17 ए के तहत डिक्री की प्रमाणित प्रति पेश किया जाना आदेशात्मक है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन प्राथमिक एवं अंतिम डिक्री विधि सम्मत नहीं है। अपीलें स्वीकार की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी 2008(2) पेज 1197 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया। वरवक्त बहस वकील अपीलांट ने जाति प्रमाण–पत्र विनोद कुमारी, कविता कुमारी, अनुकुमारी, ममता, सचिन, प्रदीप पुत्र बाबुलाल, मुकेश पुत्र बाबुलाल, नरेश पुत्र बाबुलाल, प्रियंका पुत्री बाबुलाल की प्रतियां प्रस्तुत की।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में वादीगण द्वारा एक वाद स्थाई निषेधाज्ञा, बंटवारा व घोषणार्थ बाबत भूमि खसरा नम्बर 12, 13/1, 81/2/2 वाके ग्राम डाबड़ी धीर सिंह का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्राथमिक एवं अंतिम डिक्री जारी कर दी। विचारण न्यायालय में वाद खातेदारों के मध्य प्रस्तुत किया गया था। अपीलान्ट अथवा अपीलान्ट के पूर्वज विवादित भूमि के न तो कभी खातेदार रहे है न ही काश्तकार रहे है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट प्रभावित पक्षकार नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

विचाराधीन निर्णय के विरूद्ध अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है। अपील 19 साल के असाधारण विलम्ब से प्रस्तुत की गई है। विलम्ब का दिन प्रतिदिन का संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट मियाद का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अपीलांट की अपील मियाद एवं धारा 96 पर ही खारिज योग्य है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय में वादीगण द्वारा एक वाद स्थाई निषेधाज्ञा, बंटवारा व घोषणार्थ बाबत भूमि खसरा नम्बर 12, 13/1, 81/2/2 वाके ग्राम डाबड़ी धीर सिंह का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्राथमिक एवं अंतिम डिक्री जारी कर दी।

प्रस्तुत प्रकरण में अपील मेमों के साथ प्रस्तुत जमाबंदी संवत 2012 एवं 2016 से 2019 में खसरा नम्बर 81 में सुरजा पुत्र उदा जाती चमार की खुदकाश्त एवं खातेदारी अंकित है। इसी प्रकार खसरा गिरदावरी में अंकन है। अपीलान्ट सुरजा पुत्र उदा के वारिसान है। प्रथम दृष्टया प्रकरण में अपीलान्ट प्रभावित पक्षकार प्रकट होते है। प्रकरण के गुणावगुण का निर्णय उभयपक्ष को सुनकर किया जाना है। किन्तु प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः अपीलान्ट द्वारा प्रंस्तुत आवेदन धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

विचारण न्यायालय में अपीलान्ट पक्षकार नहीं रहे है। विचाराधीन निर्णय की अपीलांट को पूर्व से जानकारी होने का तथ्य पत्रावली पर नहीं है। अतः न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कंडोन किया जाता है।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन प्राथमिक एवं अंतिम डिक्री को अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट को पक्षकार संयोजित कर जवाब दावा प्राप्त कर तनकी कायम कर साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 24.12.2025 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 4/12/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

(अनिल कुमार)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर